(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 525–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–12–2000 – पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 90/99–2000 बी 121 अपील

अच्छेलाल शिवहरे पुत्र बुद्दूलाल शिवहरे
जिला कचेहरी के पास पन्ना
तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 --- अपीलांट

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर पन्ना --रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री राजेश सेन)
(रिस्पा0के पैलन लायर श्री राजेश त्रिवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 –2016 को पारित)

यह अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/99–2000 बी 121 अपील में पारित आदेश दिनांक 5–12–2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सरपंच ग्राम पंचायत मड़ला ने 20–12–94 को कलेक्टर पन्ना को शिकायती आवेदन दिया कि ग्राम मड़ला स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 494 रकबा 0.4. हैक्टर तालाव पार पर खड़े सागोन के 07 हरे वृक्ष अपीलांट व्दारा काट लिये गये है जिन्हें जप्त कर शुपुर्दगी में दिया जावे। कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण क्रमांक 56 बी–121/1994–95 दर्ज

कर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपीलांट ने बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया। कलेक्टर पन्ना ने अपीलांट की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 21-6-99 पारित किया तथा शासकीय भूमि पर खड़े सागौन के वृक्ष अवैध रूप से काट लेना प्रमाणित होने से अपीलांट पर 1000/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर जप्तशुदा लकड़ी राजसात करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 90/99-2000 बी 121 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-12-2000 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील है।

3/ अपील मेमो में उल्लेखित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह सही है कि अपीलांट को उसकी निजी भूमि सर्वे क्रमांक 481, 485, 486, 488, 491 पर खड़े सागौन के 42 पेड़ काटने की अनुमति कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण क्रमांक 53 अ-63/2992-93 में पारित आदेश दिनांक 12-9-1994 से प्रदान की है, परन्तु यह तथ्य भी राजस्व निरीक्षक व्दारा स्थल पर की गई पैमायश एंव जांच में सामने आया है कि अपीलांट ने शासकीय तालाब की पार भूमि पर खड़े वृक्षों में 07 हरे-भरे वृक्ष कटवा दिये जबकि उसे कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 12-9-94 से उसकी निजी भूमि में खड़े वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की थी, जबकि अपीलांट ने उसकी निजी भूमि से लगी शासकीय तालाब भूमि की पार पर खड़े 07 हरे-भरे सागोन के वृक्ष कटवाये हैं। दिनांक 7-12-1994 को जब राजस्व निरीक्षक ने मौके पर सीमांकन

किया, इस तथ्य की पुष्टि हुई है एंव सीमांकन के समय सरपंच एंव उपस्थित पंचों ने भी इसकी पुष्टि की है। राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कलेक्टर पन्ना ने तहसीलदार पन्ना से स्थल निरीक्षक कर जांच प्रतिवेदन चाहा है। तहसीलदार पन्ना ने पत्र कमांक 1510/ना.तह./94 दिनांक 23-12-94 से प्रतिवेदित किया कि शासकीय तालाब भूमि की पार पर खड़े 07 हरे-भरे सागोन के वृक्ष अपीलांट ने कटवाये हैं, जिनकी लकड़ी की लम्बाई चौड़ाई दर्शाते हुये तहसीलदार ने प्रतिवेदन दिया है फलस्वरूप कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 21-6-99 पारित करके अपीलांट पर 1000/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये जप्तशुदा लकड़ी राजसात करने के आदेश दिय हैं, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 90/99-2000 बी 121 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-12-2000 से कलेक्टर के आदेश दिनांक 21-6-1999 को हस्तक्षेप योग्य न मानते हुये पुष्टिकृत किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 90/99-2000 बी 121 अपील में पारित आदेश दिनांक 5-12-2000 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर